

फर्द आहंकार

सीकराज के बनाम लक्ष्मीनंदन व अन्य

सहायक अधीक्षक (II) सांगानेर  
79/22 T.9

दिनांक आंश या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------------------	----------------------	-------------

10/7/25

पत्रावली पेश हुई। पीओ साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त हैं। अतः पत्रावली द्वारा दिनांक 23/7/25 को पेश हो।

23/7/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्सी व अपार्सी सं. 1, 4 अर्थात् 7 अर्थात् वकील अपार्सी की वकालत पार्सी वकील पार्सी ने अपार्सी वकालत प्रणाली में अंकित तथ्यों को उद्धरित करते हुए जापान में को लीका किफ पत्रों के विवेक किया है। पत्रों की राशि (कार्ड व संतोषपत्र) का अवगोचक को व वकील वादी की वकालत को फिल पर प्रथम इच्छा के व सुविधा का सम्बन्ध पार्सी के पत्र से पाये जाते हैं अतः इसी न्यायालय द्वारा जारी आदेशी निर्देशाज्ञा दि. 21/23 को वा-फिल को दावा (Absolute) रखा किफ पत्रों के पत्रों से कम लेकर वादतकमी को पूरा पाद कक्षा से लेना है। (सुनाया गया)

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)